भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2274

(जिसका उत्तर, सोमवार, 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है)

कॉर्पोरेट क्षेत्र कर बचत

2274. श्री के. षणमुग सुंदरमः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस राजकोषीय वर्ष में 1.45 लाख करोड़ रुपये की राजस्व हानि को झेलकर कॉर्पोरेट कर में की गई भारी कटौती और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण में गिरावट के बावजूद राजकोष घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ है;

(ख) यदि हां, तो अन्य स्त्रोतों से आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वह कॉर्पोरेट क्षेत्र बचत नए उद्यमों में निवेश की जाए अथवा कंपनियां कर बचत में भारी लाभांश घोषित करेंगी;

(घ) क्या सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतरिम लाभांश कर घोषित करने की मांग करेगी जो 1.76 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष भंडार के अन्तरण के बाद विमल जालान समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): नियमित बजट 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य ₹7,03,760 करोड़ (सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत) रखा गया है। भारत सरकार की सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ सरकार राजस्व और व्यय के नियमित निर्धारण के माध्यम से अपने राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करती है। बजट के संबंध में राजकोषीय घाटा लक्ष्यों की छमाही समीक्षा वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है जिसमें प्राप्तियों और व्यय में के रुझानों को शामिल किया जाता है और इसके निष्कर्षों को एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(ख): ब.अ. 2019-20 के लिए कुल ₹27,86,349 करोड़ के कुल व्यय का अनुमान है। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में वास्तविक व्यय (सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में ₹14,88,619 करोड़ वही है जो पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि (सीओपीपीवाई) में था) ब.अ. का 53.4 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में किया गया कुल राजस्व व्यय ब.अ. का 53.1 प्रतिशत था, जो सीओपीपीवाई (ब.अ. का 53.3 प्रतिशत) की तुलना में मामूली सा कम है, जो यह दर्शाता है कि व्यय को नियंत्रण में रखना सुनिश्चित करने के लिए बजट नियंत्रण का पालन कड़ाई से किया जा रहा है।

व्यय प्रबंधन के लिए किए गए उपाय-

1. बजट प्रबंधन: कार्यान्वयनकारी एजेंसियों के पास अव्ययित शेष राशि का लेखा-क्रय करते हुए बजट के लिए संशोधित अनुमानों का निर्धारण कड़ाई से किया जा रहा है।
2. मंत्रालय के भीतर और विभिन्न मंत्रालयों के बीच एकसमान उद्देश्यों वाली स्कीम/उप-स्कीमों के आमेलन के माध्यम से स्कीमों का औचित्य स्थापन।
3. प्रयोक्ता/सेवा प्रभारों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा लगाए गए शुल्कों में वृद्धि करने का माहौल बनाकर और भारत सरकार द्वारा सहायता में क्रमिक कटौती करते हुए स्वायत्त निकायों का औचित्य स्थापन।
4. नकद प्रबंधन: केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत अनुदानग्राही/कार्यान्वयनकारी एजेंसियों तथा केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों को ठीक समय पर निर्मुक्तियां सुनिश्चित करना।
5. मध्यावधिक व्यय की रूपरेखा संबंधी विवरण के माध्यम से मध्यावधि में आवर्ती व्यय आबंटन उपलब्ध कराने के माध्यम से मांगों और बजट के भीतर आयोजना का यथार्थवादी अनुमान।

(ग): कराधान नियम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश) अन्य के साथ-साथ, कॉर्पोरेट कर की दरों में कटौती करने के लिए जिसे 20.09.2019 को लागू किया गया, से आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) और वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2019 में संशोधन हुआ है। वित्त अधिनियम के खंड 2 के साथ पठित अधिनियम में डाली गई धारा 115खकक के अनुसार, विद्यमान घरेलू कंपनी, यदि कोई प्रोत्साहन अथवा कटौती का दावा नहीं करती है, तो अपनी इच्छानुसार, 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर सहित 22 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकती है। इस प्रकार, इन कंपनियों के लिए कर की प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत बैठती है। इन कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) भी नहीं लगेगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम में धारा 115खकख भी डाली गई है, जिसके अनुसार किसी भी पदार्थ अथवा वस्तु के विनिर्माण अथवा उत्पादन में कार्यरत घरेलू कंपनी (01 अक्तूबर, 2019 को अथवा उसके पश्चात स्थापित) जो 31 मार्च, 2023 तक विनिर्माण करना आरंभ करती है, यदि कोई प्रोत्साहन अथवा कटौती का दावा नहीं करती है, तो वह अपनी इच्छानुसार, 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर सहित 15 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकती है। इन कंपनियों के लिए कर की प्रभावी दर 17.16 प्रतिशत बैठती है। इन कंपनियों पर भी एमएटी नहीं लगेगा।

इसके अलावा, प्रोत्साहन प्राप्त कर रही कंपनियों पर एमएटी का भार कम करने के उद्देश्य से अधिनियम में धारा 115ञख संशोधित की गई है ताकि अधिभार और उपकर सहित एमएटी की मौजूदा 18.5 प्रतिशत दर को घटाकर अधिभार और उपकर सहित 15 प्रतिशत किया जाए।

उपर्युक्त के अनुसार कॉर्पोरेट कर घटाने के लिए किए गए उपायों से संभावना है कि कर-पश्चात लाभ (पीएटी) में वृद्धि होगी और इस प्रकार कॉर्पोरेट्स के हाथों में अधिक राशि उपलब्ध रहेगी। इसका आशय यह है कि कॉर्पोरेट्स के पास क्षमता बढ़ाने के लिए नए निवेश हेतु अथवा लाभांश के रूप में हितधारकों को वृद्धित अधिशेष वितरित करने हेतु अधिक राशि होगी।

(घ): आरबीआई को ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****